भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 862

दिनांक 12.12.2022 को उत्तर के लिए

प्रौद्योगिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ

862. स्श्री सुनीता दुग्गल:

श्री श्याम सिंह यादव :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत यथा परिकल्पित वायु प्रदूषण की स्थिति का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए सृजित प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रकोष्ठों (टीएसी) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) टीएसी के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहयोग का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या एनसीएपी के अंतर्गत टीएसी के विकास के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की गई है और यदि यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौंबे)

(क), (ख) और (ग): राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के कार्यनीतिक दस्तावेजों में प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने हेतु प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ की परिकल्पना की गई है।

इस संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 22.09.2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) और प्रतिष्ठित संस्थानों (आईओआर) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) का गठन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत स्थानीय तकनीकी क्षमताओं के निर्माण की दृष्टि से किया गया है ताकि एनसीएपी के तहत विभिन्न गतिविधियों में सहयोग करने के लिए संस्थानों का एक बड़ा समूह बन सके। एन.के.एन. वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान तथा प्रयोगशाला आधारित सूचना, एनएसीपी क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी और निष्पादित किए गए कार्यों के आकलन में सहयोग करता है। यह एनसीएपी कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकता और नीतिगत पहल सहित वायु गुणवत्ता प्रबंधन उपायों के लिए सिफारिशें प्रदान करता है।

एनकेएन में आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था (नीरी), भारतीय मोटर वाहन अनुसंधान संघ (एआरएआई), भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी), अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान (एम्स), ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (सीपीसीबी और एसपीसीबी/पीसीसी) के अधिकारी और स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं।
